(15)

म.प्र.भू.संपदाविनियामकप्राधिकरण, भोपाल

आदेश–पत्रिका

प्रोजेक्ट का नाम– ARYAN VILLA, BHOPAL

पंजीयन क्र. P-BPL-21-2962

कार्यवाही की तारीख, स्थान	आदेश	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.
29.05.2024	प्रोजेक्ट का नाम – ARYAN VILLA, BHOPAL. सम्प्रवर्तक का नाम – M/s PALAK CONSTRUCTION, BHOPAL. 1–प्रकरण पूर्णता तिथि में विस्तारण से संबंधित है। परियोजना की मूल पूर्णता तिथि 07-03-2024 है। आवेदक द्वारा दिनांक 05.03.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी परियोजना को दिनांक 08.03.2024 से 07.03.2025 अर्थात ,12 माह का विस्तारण प्रदान किया जावें। उनके द्वारा विस्तारण हेतु शुल्क राशि रुपये 1,04,207.00 जमा की गई है जिसकी पुष्टि लेखा शाखा द्वारा दिनांक 15.05.2024 को की गई है। 2–भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 6 के परन्तुक के अनुसार प्राधिकरण संप्रवर्तक की ओर से व्यतिक्रम किए बिना, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित युक्तियुक्त परिस्थितियों और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी परियोजना को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे समय तक के लिए, जो वह आवश्यक समझे और जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा, बढ़ा सकेगा। 3–संप्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत परियोजना के त्रैमासिक प्रतिवेदन जनवरी–मार्च,2024 के अनुसार निर्माण कार्य 91.12 प्रतिशत एवं विकास कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका हे। इस प्रकार सम्प्रवर्तक को दिया जाने वाला अधिकतम विस्तार एक वर्ष की ही समयवृद्धि चाही गई है। तकनीकी सलाहकार द्वारा अपनी टीप में तद्नुसार विस्तारण स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की गई है। अतः भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम ,2016 की धारा 6 के अनुसार परियोजना को दिनांक 08.03.2024 से 07.03.2025 तक का विस्तारण आवेदन स्वीकार कर समयावधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाती है। समयावधि विस्तार के फलस्वरूप जो आवश्यक अनुमतियों का पुनरीक्षण कराना अपेक्षित है। उसकी कार्यवाही संप्रवर्तक समय सीमा में पूर्ण करें। समयसीमा बढ़ाये जाने की सूचना संप्रवर्तक द्वारा सभी आवंटितियों को भेजी जावे। 4–उपसचिव रेरा समयवृद्धि बढ़ाये जाने एवं आदेश में यह भी स्पष्ट करें कि प्रोजेक्ट के आवंटितियों के साथ हुए अनुबंध में निर्धारित दायित्वों पर इस विस्तारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करें। (सुरेन्द्र सिंह राजपूत) सदस्य आई.टी. उप सचिव पंजीयन	